478
07/8/13
7=00
4

TWO RUPEES | TWO RUPEES | TWO RUPEES | ONE RUPEE

नकल आदेश दिनांक-03-8-13-मुकदमा-21/2013-धारा-143 ज॰ कि॰ निवासी मौजा-बाँसडीपट्टी परगना-सिकन्दरपुर पश्चिमी तहसील-सिकन्दरपुर माँ दुखनी देवी बनाम राज्य उ॰प्र॰ न्यायालय उपजिलाधिकारी सिकन्दरपुर जनपद-बलिया द्वारा दिनांक-03-8-13-

Instrument presented before me on 24/8/13 AM/PM at ... 3838
By Smt./Km. Abhay Kumar
S/o D/o W/o Prabandhak Maa Dukhanti
Vill. Sitheingir Bansdih Pattipati
Distr. Ballia who satisfyingly understands
The contents swears and puts his/her signature at
S.L. Identified by Sri Mahendra Pal
Which I note Verify attest

NOTARY 24/08/2013

NOTARY
Rajendra Prasad
Advocate
Ballia
R No -3261
GOVT OF INDIA

नोट :- फोटोकॉपी के साथ आदेश की डाक प्रति संलग्न है। / अभय कुमार मालवीय
प्रबन्धक
माँ दुखनी देवी शिक्षा एवं सेवा संस्थान
ग्राम-सिकन्दरपुर, पो॰-बाँसडीह
जिला-बलिया
24/8/13

Scanned with CamScanner

न्यायालय उप जिलाधिकारी बेल्थरा रोड, बलिया

वाद सं0: 21/30-3-013

धारा- 143 ज0वि0भ0अधि0

मौजा- बरवां रत्ती पट्टी

परगना- सिकन्दरपुरगर्वी

मां दुखनी देवी

बनाम

रामअवध आदि

निर्णय

=====

प्रस्तुत वाद अभय कुमार यादव पुत्र राजेन्द्र यादव, प्रबन्धक, मां दुखनी चौधरी शिक्षण एवं सेवा संस्थान विशुनपुर निवासी- विशुनपुर तहसील बेल्थरा रोड, जिला- बलिया द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि मौजा- बरवां रत्ती पट्टी में स्थित आराजी नं0 608 रकबा- 0.75एकड़ अकृषिक भूमि है । धारा 143 यू0पी0 जे0ए0एल0 एवं एल0आर0 एक्ट के तहत इसे अकृषिक घोषित किया जाय । इनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि विद्यालय के प्रयोग में लायी जा रही है । इस लिए तफसील आराजी को आबादी दर्ज करना न्यायोचित होगा। अन्त में निवेदन किया है कि नियम 135 के तहत मातहत अधिकारियों से आख्या तलब कर तफसील आराजी को आबादी श्रेणी 6(2) दर्ज करने की कृपा करें ।

इस सम्बन्ध में दिनांक 30-3-013 को वाद दर्ज किया गया तथा तहसीलदार बेल्थरा रोड से जाँच आख्या देने हेतु इस न्यायालय द्वारा प्रतिलिपि जारी किया गया । जिसे राजस्व निरीक्षक सीयर द्वारा स्थलीय जाँच कर अपनी आख्या मय लेखपाल दिनांक 10-4-013 को दी गयी। राजस्व निरीक्षक सीयर द्वारा भू-लेख नियमावली की धारा 135(1) के अन्तर्गत नियत प्रोफार्मा पर अपनी जाँच आख्या प्रस्तुत की गयी । उनके द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी कि गाटा सं0- 608 रकबा 0.303हे0 मालगुजारी 7.93रू0 कागजात में मां दुखनी चौधरी शिक्षण एवं सेवा संस्थान विशुनपुर पोस्ट- बरवां रत्ती पट्टी परगना- सिकन्दरपुर गर्वी तहसील बेल्थरा रोड जनपद- बलिया, प्रबन्धक अभय कुमार यादव पुत्र राजेन्दर यादव के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है । जो खाता खतौनी संख्या 438 पर अंकित है । हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट दी गयी है कि उक्त आराजी

अभय कुमार यादव

प्रबन्धक

मां दुखनी चौधरी शिक्षण एवं सेवा संस्थान

ग्राम-विशुनपुर, पो0-बरवां रत्तीपट्टी

तह0-बिल्थरा रोड-बलिया

03.8.15

Scanned with CamScanner

रकबे में माँ दुखनी चौधरी शिक्षा एवं सेवा संस्थान स्थित है जिसे आबादी श्रेणी 6(2) कायम किया जा सकता है। इस वाद में किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी। मेरे द्वारा वादी व उसके अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया। तथा पत्रावली पर तहसीलदार बेल्थरा रोड की आख्या दिनांक 13-4-013 का अवलोकन किया गया। उक्त आराजी अकृषिक प्रयोग में हो रही है। जिसे अकृषिक घोषित किया जाना न्यायसंगत है। भूलेख अधिनियम की धारा 135(1) के अन्तर्गत गैर कृषिक भूमि के सम्बन्ध में विवरण हल्का लेखपाल/ राजस्व निरीक्षक व तहसीलदार बेल्थरा रोड द्वारा देते हुए संस्तुति की गयी है।

आदेश

अतः तहसीलदार बेल्थरा रोड की आख्या दिनांक - 13-4-013 को स्वीकार करते हुए मौजा- बरवाँ रत्ती पट्टी के खाता खतौनी संख्या 436 आ0नं0 608 रकबा 0.363हे0 मालगुजारी 9.93रू0 जो माँ दुखनी चौधरी शिक्षण एवं सेवा संस्थान विशुनपुर बलिया के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है, को धारा 143 उ0प्र0 जे0जे0ए0 एवं एल0आर0एक्ट के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है तथा उसे रुपया 9.93 के मालगुजारी से मुक्त किया जाता है। परवाना अमल दरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

23.3.13
(भूपाल सिंह)
उप जिलाधिकारी
बेल्थरा रोड।

नकल करी - R
मिलान करी - R
... 390

12.8.13
12.8.13
12.8.13

12.8.13

अभय कुमार ...
प्रबन्धक
माँ दुखनी चौधरी शिक्षण एवं सेवा संस्थान
ग्राम-विशुनपुर, पो0-बरवाँ रत्तीपट्टी
24/8/13